भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2041
गुरुवार, 11 दिसम्बर, 2025/20 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

सिलचर के लिए सीधी उड़ान सेवा

2041. श्री परिमल शुक्ला बैद्यः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि सिलचर से नई दिल्ली के लिए सीधी उड़ान सेवा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण यात्रियों को कोलकाता या गुवाहाटी के माध्यम से यात्रा करने के लिए विवश होना पड़ता है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार हवाई संपर्क के लिए सिलचर हवाईअड्डे पर निर्भर असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए सिलचर और नई दिल्ली के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हाँ, तो अपेक्षित समय-सीमा, एयरलाइन ऑपरेटर और उड़ानों के अंतराल सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ान या किसी अन्य तंत्र के तहत सिलचर-नई दिल्ली के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): जारी शीतकालीन अनुसूची के अनुसार, किसी भी अनुसूचित एयरलाइन ने दिल्ली और सिलचर के बीच सीधी उड़ानें परिचालित करने का प्रस्ताव नहीं किया है। देश में शहरों के बीच किसी भी उड़ान का प्रारंभ या परिचालन विशुद्ध रूप से मार्ग की आर्थिक/परिचालन व्यवहार्यता और अन्य संबद्ध कारकों के आधार पर एयरलाइनों का एक वाणिज्यिक निर्णय है।

इसके अलावा, मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरसन के साथ, भारतीय घरेलू विमानन को विनियमित कर दिया गया था। एयरलाइनें किसी भी प्रकार के विमान के साथ क्षमता बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं तथा सेवा देने और परिचालन करने के लिए अपनी इच्छानुसार किसी भी बाजार और नेटवर्क को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं।

(घ): क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) के प्रावधानों के अनुसार, सिलचर-दिल्ली मार्ग, योजना के तहत बोली लगाने के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि दोनों हवाईअड्डों को सेवित हवाईअड्डों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और दो सेवित हवाईअड्डों के बीच संपर्क, उड़ान योजना के दायरे में नहीं आता है। उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों के लिए हवाई संपर्क को बढ़ाना है।

******